

<p>2. कार्यालय में तैनात कर्मचारियों और अधिकारियों के कर्तव्य और दायित्व ।</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. निदेशक सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उ0प्र0 विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए निदेशालय तथा जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों के नियंत्रक अधिकारी के रूप में कार्य करना, विभाग के लिए नीतियों एवं कार्यक्रमों का निर्धारण एवं उनका क्रियान्वयन कराना, विभाग के बजट नियंत्रक के रूप में कार्य करना, समूह 'ग' के पदों के लिए नियुक्ति अधिकारी के रूप में कार्य करना आदि । 2. उपनिदेशक निदेशक, सैनिक कल्याण के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के अंतर्गत अपने से संबंधित विषय (प्रशासन, कल्याण एवं पुनर्वास) के संबंध में निदेशालय स्तर पर समस्त कार्यों का सम्पादन अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से तथा उनका पर्यवेक्षण करते हुए । 3. वित्त एवं लेखाधिकारी निदेशक, सैनिक कल्याण के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के अंतर्गत उनके वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य करते हुए विभाग के बजट नियंत्रण, व्यय नियंत्रण एवं आन्तरिक सम्परीक्षा संबंधी कार्य । 4. कार्यालय अधीक्षक निदेशालय के समस्त अनुभागों एवं उनमें कार्यरत समस्त कर्मचारियों के कार्यों का सामान्य पर्यवेक्षण । 5. वर्ग प्रभारी(वरिष्ठ सहायक/वरिष्ठ लिपिक) अपने-अपने अनुभागों के कर्मचारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण और अनुभागों के कार्यों का सुचारु रूप से सम्पादन सुनिश्चित करना । 6. पटल सहायक/वरिष्ठ लिपिक/कनिष्ठ लिपिक अपने-अपने पटल से सम्पादित किये जाने वाले समस्त कार्यों की पत्रावलियों का रख-रखाव, प्राप्त होने वाले पत्रों पर समय से कार्यवाही तथा संबंधित अन्य आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करना । 7. पी0ए0/आशुलिपिक जिन अधिकारियों के साथ सम्बद्ध है उनके शिविर सहायक के रूप में कार्य करते हुए अधिकारियों से डिक्टेसन लेकर उसे टंकित करना, तथा अधिकारी द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों का सम्पादन, आवश्यक पत्रावलियों का रख-रखाव । 8. जिला सैनिक कल्याण अधिकारी निदेशक सैनिक कल्याण के सामान्य नियंत्रण के अधीन स्थानीय स्तर पर जिलाधिकारी के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करते हुए विभाग से संबंधित योजनाओं एवं कार्यक्रमों का जिला स्तर पर क्रियान्वयन तथा भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवाओं/आश्रितों की समस्याओं का यथासम्भव निराकरण । 9. सहायक अधिकारी(जिला सैनिक कल्याण कार्यालय) जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के कार्यकलापों के सम्पादन में जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी की सहायता तथा उनकी अनुपस्थिति में
--	--

		<p>उनके पद का कार्य भी सम्पादित करना ।</p> <p>10. कल्याण कार्यकर्ता भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके परिवारों के लिए विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी की सहायता करना, योजनाओं की जानकारी लाभार्थियों को उपलब्ध कराना तथा उनका अधिकाधिक लाभ उन तक पहुंचाने में सहायता करना, जनपद के क्षेत्र में भ्रमण करके भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके परिवारों से सम्पर्क स्थापित करना, उनकी समस्याओं की मौकें पर जानकारी प्राप्त कर यथासम्भव उसका निराकरण करना तथा सेवारत एवं भूतपूर्व सैनिकों के संबंध में समय समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये प्रकरणों की जांच करना ।</p> <p>11. वरिष्ठ लिपिक/कनिष्ठ लिपिक कार्यालय में पत्रावलियों/अभिलेखों का रख-रखाव, प्राप्त होने वाले पत्रों पर कार्यवाही, कार्यालय के कार्यों का सम्पादन</p>
--	--	---

